

पालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

9/19

तारीखरज- 14-2-19

उपबान- रजतल बनाम रामेश्वर वरैठ

प्रार्थना पत्र अर्थाई निषेधाज्ञा क्रमांक 212

कई अहवाल

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हरमल सुर्ज एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावगत प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अनर्हम अर्थाई निषेधाज्ञा पालि नही किये जाने पर बट व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असाफल हो जावेगा। प्रार्थना पत्र अनर्हम अर्थाई निषेधाज्ञा के विन्दु पर कबिल प्रार्थी को सुना गया। कबिल प्रार्थी का कथन है कि अप्राधीगण प्रत्यगा भूमि में साधलान को प्रार्थी के पक्ष में अनर्हम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आवर्गियता को देखते हुए अप्राधीगण को जरिसे अर्थाई निषेधाज्ञा से मानन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 11.03.2019 को विभादप्रल अखली सडनड 899 सख्या 0.19 डेड ग्राम सोरखपुर लहरील टोकलैम जिला करौली में आगामी विधि तथ गौके की सधमिति के आदेश दिए जावे है।

प्रार्थी को निर्दिशत किया जाता है। कि अप्राधीगण के नैटिय गमित को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ-साथ अप्राधीगण को प्रार्थना पत्र वसलवेज व नोटिस आदि की प्रकिया रजिस्टर्ड डाक से कियवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आगम को समय पत्र तथा रशीद प्रस्तुत की करे। तथा महस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अर्थाई निषेधाज्ञा स्वत विधभाकी कनी जावेगी। प्रकल्प को सख्या हाथी से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के अखल पर न्यायालय के विवेकजनैल रजिस्टरों के तहत बट अनर्हम अर्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। निशाना प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्राधीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की फर्दनुसार तौस कार्यकरी कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 28 नियम (3) (क) के अखलाने की पालना सुभिशित करे। अन्यथा अनर्हम आदेश को आइन्दा तारीख पेशी तक विनाशित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकविषर एवं अनर्हम रजिस्टरों का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अनर्हम निषेधाज्ञा कबिल की गई है वे परिशर्तन की दसा में संशोधित/कैंसल कर दी जावेगी। अप्राधीगण को जरिसे रजिस्टर्ड नोटिस ततप किया जावे। पत्रावली दिनांक 11.03.2019 को पेश हो।

11-3-19

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

11-3-19

प्रार्थी पक्षीय आ। प्रार्थी पक्षीय जे कालकिल, जे प्रार्थी इस मुकदमे को आगे-बलना नहीं चाहता है तथा Not Press में रजिस्ट्र करना चाहता है। अरे तिस पर हरनसूचिते।
मिनः यह प्रार्थना पत्र अर्थाई निषेधाज्ञा Not Press में रजिस्ट्र किया जाण है। पत्रावली के तहत सुनार ताम् गामर हो कर सोर एता फर्कानों के साथ-साथ देह।



उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली